

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

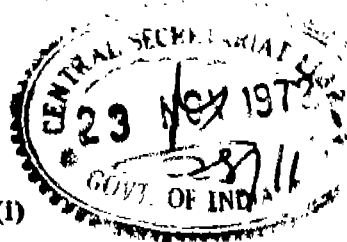
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 252] नई दिल्ली, रविवार, अक्टूबर 1, 1972/आश्विन 9, 1894

No. 252] NEW DELHI, SUNDAY, OCTOBER 1, 1972/ASVINA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

ORDER

New Delhi, the 1st October 1972

G.S.R. 425(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Former Secretary of State Service Officers (Conditions of Service) Act, 1972 (59 of 1972), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. (1) This Order may be called the Former Secretary of State Service Officers (Adaptation of Provident Fund Rules) Order, 1972.

(2) It shall come into force on the 1st day of October, 1972.

2. In the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955,—

(a) in rule 2, after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(gg) “Indian Civil Service member of the Indian Administrative Service” means a person who was initially appointed to the Civil Service of the Crown in India known as the Indian Civil Service and who subsequently became a member of the Indian Administrative Service;

(ggg) "Indian Police member of the Indian Police Service" means a person who was initially appointed to the Police Service of the Crown in India known as the Indian Police and who subsequently became a member of the Indian Police Service.;

- (b) in rule 3, after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted namely:—

"(3) In the case of an Indian Civil Service member of the Indian Administrative Service, his credit in the Indian Civil Service Provident Fund and in the Indian Civil Service (Non-European Members) Provident Fund shall be transferred to this Fund.

(6) In the case of an Indian Police member of the Indian Police Service, his credit in the Secretary of State's Services General Provident Fund shall be transferred to this Fund.;"

- (c) rule 29 shall be re-numbered as sub-rule (1) thereof, and after the sub-rule as so re-numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2) The account of each Indian Civil Service member of the Indian Administrative Service shall be credited on his retirement, or previous death, with a sum of Rs. 6,000."

3. The Indian Civil Service (Provident Fund) Rules, 1943, the Indian Civil Service (Non-European Members) Provident Fund Rules, 1943 and the Secretary of State's Services (General Provident Fund) Rules, 1943 are hereby repealed.

4. The provisions of section 6 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply to the repeal effected by rule 3 as if such repeal were a repeal of an enactment by a Central Act.

[No. 3177/72-ALS(HH)-7]

R. N. HALDIPUR, Jt. Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग,

आदेश

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1972

जी०एस०आर० 425 (अ).—भूतपूर्व सैक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1972 (1972 का 59) की धारा 9 की उप धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) यह आदेश भूतपूर्व सैक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी (भविष्य निधि अनुकूलन नियम) आदेश, 1972 कहा जा सकेगा।

(2) यह 1 अक्टूबर, 1972 से लागू होगा।

2. अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 में,—

(क) नियम 2 में, खण्ड (घ) के बाव निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिये जाएंगे, अर्थात् :—

"(घ) भारतीय प्रशासन सेवा के भारतीय सिविल सेवा सदस्य से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो आरम्भ में इंडियन सिविल सर्विस के नाम से विख्यात

में ताज (क्राउन) की सिविल सेवा में नियुक्त किया गया हो और जो बाद में भारतीय प्रशासन सेवा का सदस्य बन गया हो

(छछछ) "भारतीय पुलिस सेवा के भारतीय पुलिस सदस्य से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो आरम्भ में इंडियन पुलिस के नाम से विख्यात भारत में ताज (क्राउन) की पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया हो और जो बाद में भारतीय पुलिस सेवा का सदस्य बन गया हो।

(ख) नियम 3 में, उपनियम (4) के बाद निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(5) भारतीय प्रशासन सेवा के किसी भारतीय सिविल सेवा सदस्य के मामले में भारतीय सिविल सेवा भविष्य निधि और भारतीय सिविल सेवा (गैर यूरोपीयन सदस्य) भविष्य निधि में उसकी जमा राशि इस निधि में स्थानान्तरित कर दी जाएगी।"

(6) भारतीय पुलिस सेवा के किसी भारतीय पुलिस सदस्य के मामले में, सैफ्टेरी आफ स्टेट सेवाएं सामान्य भविष्य निधि में उसकी जमा राशि इस निधि में स्थानान्तरित कर दी जाएगी,

(ग) नियम 29 की संख्या को बदलकर उसका उप नियम (1) कर दिया जाएगा और, इस प्रकार उपनियम के रूप में बदली गई संख्या के बाद निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

(2) भारतीय प्रशासन सेवा की भारतीय सिविल सेवा के प्रत्येक सदस्य के लेख में उसकी सेवा निवृत्ति अथवा पहले मृत्यु होने, पर 6000/- रु० की राशि जमा में डाल दी जाएगी।

3. भारतीय सिविल सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1943, भारतीय सिविल सेवा (गैर-यूरोपीय सदस्य) भविष्य निधि नियमावली, 1943 तथा सैफ्टेरी आफ स्टेट सेवाएं (सामान्य भविष्य निधि) नियमावली, 1943 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

4. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के उपबन्ध, नियम 3 द्वारा प्रभावी किये गये निरसन पर इस प्रकार लागू होंगे मानों ऐसा निरसन किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा किये गये किसी अधिनियम का निरसन हो।

[सं० 31/7/72-अ०भा०से० (III)]

आर० एन० हल्दीपुर, संयुक्त सचिव।

